प्रेस नोट 02.06.2022

दिनांक 26.05.2022 को थाना सरायलखंसी क्षेत्रान्तर्गत हरपुर मे महिला की हत्या मामलें का खुलाषा, घटना में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मृतिका का नोकिया का मोबाइल, तंत्र–मंत्र के नाम पर मृतिका से पूर्व में लिए गये आभूषण बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुषील घुले के निर्देषन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.06.2022 को थाना सरायलंखसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जग देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सलाहाबाद मोड के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 284/2022 धारा 460 भादवि0 में प्रकाष में आया अभियुक्त प्रदीप कहार पुत्र स्व0 विजयमल कहार निवासी लक्खुपुर मुसहरिया थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर कब्जे से मृतिका से मंत्र–तंत्र के नाम पर धोखे से लिये गये आभूषण दो जोडी पायल, एक कान का टप्स, एक जोडी कान का चैन, एक मंगलषूत्र, एक लाकेट एक चैन बरामद किया गया।

पूछताछ में उक्त गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मृतिका के घर पर 5–6 महिने से रहता था तथा घर का देखभाल करता था जो मुझे अपने बच्चे के तरह मानती थी। तंत्र–मंत्र के नाम पर मै उनका जेवर लगभग (01 लाख 50 हजार रूपये) मै ले लिया था जिसको मै गिरवी रख कर कुछ रूपये उधार प्राप्त कर लिया था। मृतिका वह गहने मुझसे माग रही थी क्योकि उनके बहु बेटे आने वाले थें। मै मृतिका को विष्वास दिलाया कि आज आधी रात्रि में पूजा होगा जिसमे उनके सारे जेवर आलमारी में रख दिये जायेगें। इसी पूजा–पाठ के नाम पर दिनांक 25/26.05.2022 की रात को पिछले दरवाजे से घर में घुस कर महिला को गला दबाने की कोषिष किया गया जिसके दौरान उक्त मृतिका का सर बेड में लगे लोहे पर लग गया जिससे उनकी मृत्यू हो गयी। इस घटना को चोरी का रूप देने के लिए आलमारी में पडे साड़ी/कपडे को इधर–उधर बिखेर दिया। जब उक्त बरामद आभूषणों को मृतिका के बेटे–बहु को दिखाया गया तो उन्होने उसकी पहचान अपनी मा के जेवरात के रूप में की। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पूर्व में पंजीकृत अभियोग में धारा 460 का बिलोप करते हुए उक्त अभियोग में धारा 302,404,411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. प्रदीप कहार पुत्र स्व0 विजयमल कहार निवासी लक्खुपुर मुसहरिया थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, स्थायी पता मलिकपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी–

1. दो जोडी पायल, एक कान का टप्स, एक जोडी कान का चैन, एक मंगलषूत्र, एक लाकेट तथा एक चैन।
2. एक नोकिया का कीपैड मोबाइल फोन।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 02.06.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा धवरियासाथ से मु0अ0सं0 158/22 धारा 379,411 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अमजद पुत्र माजिद निवासी मुस्कुरा थाना घोसी जनपद मऊ तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बन्धा रोड से मु0अ0सं0 277/22 धारा 34,323,504,308 भदवि0 में वांछित अभियुक्तगण सुभाष पुत्र बुद्धन, अनिल पुत्र सुभाष निवासीगण पठानटोला चमरटोला थाना कोतवाली तथा बहादुरगंज बस स्टेशन के पास से मु0अ0सं0 276/22 धारा 376,323,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र रामरतन प्रसाद निवासी डलियानपुर अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 33 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 02.06.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा श्यामसुन्दर, बाबुलाल निवासीगण समाउद्दीनपुर, रामलाल, पिन्टू निवासीगण भेडियाधर थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा पुरूषोत्तम, बालकरन, श्रवण निवासीगण सियरही बर्जला थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा सूरज राजभर, हरिन्द्र राजभर, अनिल निवासीगण भटमिला, रामसेवक, अच्छेलाल, राजकुमार निवासीगण टेधना, राजेन्द्र चौहान, शिवाजी चौहान, प्रभाकर निवासीगण सरायसादी थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा राजेश यादव, योगेश यादव, दुर्गविजय यादव, रविशंकर निवासीगण लैरोदोनवार, जयराम साहनी निवासी काछिकला थाना कोपगंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अनुल कुमार निवासी जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर, सूरज सोनकर निवासी मठियाटोला, छोटेलाल निवासी सहादतपुरा, विवेक यादव निवासी भीटी थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा अजय पाण्डेय, राजेद्र शर्मा, रामप्रवेश निवासीगण सुग्गी चौरी थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा राजा निवासी सैदपुर, हरेन्द्र निवासी सियाबस्ती, पप्पू विश्वकर्मा निवासी वलीदपुर, कृष्ण कुमार निवासी रामपुर चकिया थाना दक्षिणटोला, भीमकुमार निवासी हाफिजपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।